

**GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)**

No. E(D&amp;A) 2012 RG6-34

New Delhi, 30.09.2015

The General Manager(P)  
All Indian Railways and  
Production Units etc.  
(As per standard list).

Sub: Imposition of penalties of dismissal, removal or compulsory retirement -  
Determination of appointing authority reg.

Attention is invited to Railway Board's letter no. E(D&A) 2002 RG6-36 dated 25.11.2002 on the above subject relating to determination of appointing authority for the purpose of imposition of the penalties of dismissal, removal or compulsory retirement on a Railway servant.

2. It was clarified in the above referred instructions that the intention of Rule 2(1)(a) of RS(D&A) Rules, 1968 is that the penalties of dismissal, removal or compulsory retirement from service should be imposed on a Railway servant only by the highest of the following authorities viz. the authority which actually appointed the railway servant to the relevant grade or post, or the authority which is empowered to make appointment to that grade or post at the time of imposition of penalty. It was further emphasized that the penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service should not be imposed by an authority which has merely issued the offer of appointment or order of promotion with regard to the appointment or promotion ordered by a competent authority higher to that authority.

3. In a PNM meeting with the NFIR, the Federation has stated that inspite of the above mentioned instructions, in some instances, the penalties of dismissal, removal or compulsory retirement were imposed on a Railway servant by an authority lower than the authority which had actually ordered the appointment/promotion of the Railway servant. It is therefore reiterated that a lower authority who has merely issued/signed the order regarding appointment/promotion which has been ordered by a higher authority, is not competent to impose the penalty or dismissal, removal or compulsory retirement from service on such Railway servant. Such action is not only violative of the RS(D&A) Rules but also unlikely to withstand judicial scrutiny. Railways may therefore impress upon all concerned to adhere to the provisions of Railway Board's letter no. E(D&A) 2002 RG6-36 dated 25.11.2002, as brought out in para 2 above.

4. Hindi version will follow. Please acknowledge receipt.



**(S. Modi)**  
**Dy. Director Estt. (D&A)**  
**Railway Board**

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(डीएंडए) 2012 आरजी6-34

नई दिल्ली, दिनांक 30.09.2015

महाप्रबंधक (कार्मिक)

सभी भारतीय रेलों और उत्पादन इकाइयां आदि।

(मानक सूची के अनुसार)

विषय: बर्खास्तगी, सेवा से हटाने अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्तियां लगाने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी का निर्धारण।

उपर्युक्त विषय पर रेलवे बोर्ड के दिनांक 25.11.2002 के पत्र सं. ई(डीएंडए) 2002 आरजी6-36 की ओर आपका ध्यान दिलाया जाता है जो रेलवे सेवक की बर्खास्तगी, सेवा से हटाने अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्तियां लगाने के प्रयोजन से नियुक्ति प्राधिकारी का निर्धारण करने के संबंध में है।

2. उपर्युक्त संदर्भित अनुदेशों में यह स्पष्ट किया गया था कि रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के नियम 2(1)(क) का यह आशय है कि निम्नलिखित में से उच्चतम प्राधिकारी अर्थात् वह प्राधिकारी, जिसने वास्तव में संबंधित ग्रेड अथवा पद पर रेलवे सेवक को नियुक्त किया हो अथवा वह प्राधिकारी, जिसे शास्ति लगाते समय उस ग्रेड और पद पर नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त हो, द्वारा ही रेलवे सेवक पर बर्खास्तगी, सेवा से हटाने अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्तियां लगाई जानी चाहिए। इस पर फिर से जोर दिया गया है कि बर्खास्तगी, सेवा से हटाने अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति उस प्राधिकारी द्वारा नहीं लगाई जानी चाहिए जिसने उस प्राधिकारी से उच्चतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई नियुक्ति अथवा पदोन्नति के संबंध में मात्र नियुक्ति की पेशकश अथवा पदोन्नति का आदेश जारी किया हो।

3. एनएफआईआर के साथ हुई पीएनएम की बैठक में, फेडरेशन ने यह बताया है कि उपर्युक्त अनुदेशों के बावजूद भी, कुछ मामलों में, रेलवे कर्मचारी पर उस प्राधिकारी, जिसने वास्तव में रेलवे सेवक की नियुक्ति/पदोन्नति के संबंध में आर्डर किया था, से निम्नतर प्राधिकारी द्वारा बर्खास्तगी, सेवा से हटाने अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्तियां लगाई गई थी। अतः यह दोहराया जाता है कि वह निम्नतर प्राधिकारी, जिसने उच्चतर प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति/पदोन्नति के संबंध में किया गया आदेश केवल जारी/हस्ताक्षर किया हो, ऐसे रेलवे सेवकों पर बर्खास्तगी, सेवा से हटाने अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति लगाने के लिए सक्षम नहीं है। ऐसा करने से न केवल रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम का उल्लंघन होता है बल्कि न्यायालय के समक्ष इसे सही सिद्ध करना भी संभव नहीं होगा। अतः रेलों द्वारा उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लेख किए गए रेलवे बोर्ड के दिनांक 25.11.2002 के पत्र सं. ई(डीएंडए) 2002 आरजी6-36 के प्रावधानों का पालन करने के लिए सभी संबंधितों को निदेश दिया जाए।

4. कृपया पावती दें।

शैलेंद्र मोदी

(एस. मोदी)

उप निदेशक स्था. (डीएंडए)

रेलवे बोर्ड